/

बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग
सं0–3/आ०वि० (विविध)–02–02/2013– 473

प्रेषक,
निदेशक।

सेवा में,
सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण

पटना, दिनांक– 1.3.2013

विषयः–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित बिहार के सभी आवासीय विद्यालयों में वर्ग प्रथम एवं षष्ठम् में नामांकन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आवासीय विद्यालयों में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा की तिथि 31.03.2013 रखी गई है। इस संदर्भ में दिनांक 25.02.2013 को निदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में हुई बैठक की कार्यवाही, आवेदन पत्र तथा प्रवेश पत्र का प्रपत्र संलग्न की जाती है।

अतः अनुरोध है कि आवासीय विद्यालयों में नामांकन से संबंधित कार्रवाई ससमय पूरी की जाये।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

विश्वासभाजन,
01.3.13
निदेशक।

अनु०–यथोक्त (विहित प्रपत्र सहित)।

ज्ञापांक–3/आ०वि० (विविध)–02–02/2013– 473 पटना, दिनांक– 1.3.2013

प्रतिलिपि–सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.3.13
निदेशक।

Letter Secretary/9

दिनांक–25.02.13 को निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग की अध्यक्षता में आवासीय विद्यालयों में नामांकन हेतु आयेजित बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :–

निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग	–	अध्यक्ष
अवर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग	–	सदस्य
उपनिदेशक, कल्याण, मगध प्रमंडल, गया ।	–	सदस्य
सहायक निदेशक, (क0) अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग	–	सदस्य
प्रधानाध्यापिका, अम्बेदकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, गायघाट, पटना।	–	सदस्य

सर्व सम्मति से बैठक में निर्णय लिया गया कि :–

1. विभागीय पत्रांक–1120 दिनांक–17.4.2010 का अनुपालन किया जायगा। वर्ग–1 में नामांकन "पहले आओं, पहले पाओं" के सिद्धांत पर प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार प्रमंडल स्तर पर गठित नामांकन समिति की अनुशंसा पर किया जायेगा।
2. बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्ग 6 में नामांकन हेतु पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक–1120 दिनांक–17.4.2010 के आलोक में वस्तुनिष्ठ एक प्रश्नपत्र होगा जिसमें 50 अंक के अंकगणित तथा 50 अंक के हिन्दी का प्रश्न होगा। परीक्षा की अवधि 10.00 बजे से 12.00 बजे दिन में दो घंटे की होगी।
3. सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्ग–1 एवं वर्ग–6 में नामांकन हेतु वैसे अनुसूचित जाति जिनकी साक्षरता दर 20 प्रतिशत से कम है, उन अनुसूचित जातियों के छात्र–छात्राओं के लिये 40 प्रतिशत एवं अस्वच्छ कार्य में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिये 25 प्रतिशत सीट आरक्षित करते हुये नामांकन किया जायेगा एवं शेष 35 प्रतिशत में अन्य अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के लिये सीट आवंटित किया जायेगा। अस्वच्छ कार्य में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिये आरक्षित 25 प्रतिशत सीट के तहत अगर बच्चे नहीं मिले तो 20 प्रतिशत से कम साक्षरता वाले अनुसूचित जाति वर्ग से उक्त सीट को भरा जायेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
4. सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदक के माता–पिता/अभिभावक का कोई आय सीमा नहीं होगा। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
5. सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्ग 1 में नामांकन हेतु छात्र/छात्रा की उम्र सीमा नामांकन वर्ष की पहली अप्रैल (01.04.2013) को 5 से 7 वर्ष रखी जाय। वर्ग–6 में नामांकन हेतु उम्र सीमा नामांकन वर्ष की पहली अप्रैल (01.04.2013) को 10 वर्ष से 13 वर्ष रखी जाय।

6. नामांकन प्रकिया हेतु समय का निर्धारण सर्व सम्मति से निम्न प्रकार करने का निर्णय लिया गया :—

(क) आवेदक द्वारा अपने जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र देने की तिथि	–11.3.2013 से 16.3.2013 तक
(ख) आवेदक द्वारा अपने जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय मे प्रवेश पत्र प्राप्त करने की तिथि	–18.3.2013 से 21.3.2013 तक
(ग) परीक्षा की तिथि	–31.3.2013(10.00से12.00 बजे)
(घ) परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि	– 3.4.2013
(ड़) नामांकन की तिथि	– 8.4.2013 से 13.4.2013 तक
(च) कक्षा प्रारंभ होने की तिथि	–15.4.2013

7. सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नामांकन प्रकिया हेतु प्रश्न पत्रों का चयन/छपाई/वितरण मुख्यालय स्तर से निम्न तिथियों को किया जायगा:—

(क) प्रश्न पत्रों का चयन	– 7.3.2013 से 12.3.2013 तक
(ख) प्रश्न पत्रों की प्रूफिंग/छपाई	– 20.3.2013
(ग) प्रश्न पत्रों का वितरण	–25.3.2013

8. सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्ग 1 एवं 6 में नामांकन हेतु चयनित सूची रिक्त सीट से 25 प्रतिशत अधिक की तैयार की जाय ताकि चयनित सूची से नामांकन में अनुपस्थित छात्र/छात्रा के स्थान पर मेधासूची के कमानुसार प्रतीक्षा सूची (Waiting list) से नामांकन किया जा सके।

9. सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नामांकन प्रकिया का प्रचार–प्रसार विज्ञापन के माध्यम से किया जाय। साथ ही, प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण/जिला कल्याण पदाधिकारी अपने स्तर से इसका प्रचार–प्रसार करायेंगे।

10. वर्ग–1 एवं 6 में नामांकन हेतु रिक्ति की सूचना सभी जिला कल्याण पदाधिकारी से प्राप्त करने का निर्णय लिय गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि नामांकन हेतु प्राप्त आवेदनों की सूचना दिनांक–18.3.2012 तक सभी जिला कल्याण पदाधिकारी निश्चित रुप से विभाग को उपलब्ध करायेंगे,ताकि प्रश्न पत्र आदि तैयार करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

11. नामांकन प्रक्रिया तथा अन्य संबधित कार्य के लिए उप निदेशक, कल्याण मगध प्रमंडल,गया को संयोजक मनोनीत करने का निर्णय लिया गया।

साधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

25.2.2013

निदेशक।

अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में नामांकन हेतु आवेदन–पत्र का प्रपत्र

1– आवेदक का नाम (साफ अक्षरों में):–

2– विद्यालय/संस्था का नाम :–

3– जन्म तिथि :– वर्ष [ ] माह [ ] दिन [ ]
(01–04–2013 को आवेदक का उम्र)

4– पिता का नाम तथा पूरा पता:–

5– राष्ट्रीयता :–

6– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नाम :–
(उप जाति सहित एवं जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)

7– अभिभावक का नाम तथा पूरा पता :–
(यदि पिता/माता न हो)

8– शैक्षणिक योग्यता :–
(पंचम वर्ग उत्तीर्ण/पंचम वर्ग परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

9– आवासीय विद्यालय का क्रमानुसार नाम जहाँ आवेदक प्राथमिकता के आधार पर नामांकन चाहता है :–

(I)

(II)

(III)

(यदि चयनित विद्यालय में आवेदक का नामांकन नहीं होता है तो उस प्रमंडल के अन्य किसी विद्यालय में मेधा सूची के अनुसार आवंटन किया जा सकता है)

घोषणा–पत्र

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि ऊपर दिये गए सभी विवरणी सही है और वचन देता/देती हूँ कि अनुशासन में रह कर विद्यालय के नियमों का पालन निष्ठा पूर्वक करूँगा/करूँगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री प्रतिपाल्य में रहकर विद्यालय के नियमों का पालन निष्ठापूर्वक करेगा/करेगी।

पिता/अभिभावक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक कागजात:–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र की मूल/अभिप्रमाणित प्रति तीन फोटोग्राफ की अभिप्रमाणित प्रति एवं आवासीय प्रमाण–पत्र/जन्म एवं आवास से संबंधित शपथ–पत्र। दिनांक 01.04.2013 को वर्ग–1 में नामांकन हेतु 5 से 7 वर्ष एवं वर्ग–6 में नामांकन हेतु उम्र 10 से 13 वर्ष होना आवश्यक होगा।

नोट:– *अभिभावक की कोई आय–सीमा निर्धारित नहीं है।*

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में नामांकन हेतु परीक्षा

प्रवेश–पत्र

फोटो चिपकाकर उस पर आवेदक का नाम लिखें

1– छात्र का नाम :–

2– पिता का नाम :–

3– पूरा पता :–

4. जन्म तिथि :– वर्ष [ ] माह [ ] दिन [ ]

5. परीक्षा का विषय :– गणित 50 अंक (50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न)
हिन्दी 50 अंक (50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

6– परीक्षा की तिथि एवं समय :– 31–03–2013
10.00 बजे से 12.00 बजे दिन

7– जिला का कोड संख्या :–

8– क्रमांक :–

9– परीक्षा केन्द्र :–

आवेदक का हस्ताक्षर

जिला कल्याण पदाधिकारी,
.... का हस्ताक्षर एवं मुहर।

प्राप्ति रसीद

आवेदक का नाम एवं पता :–

आवेदन संख्या :–

कार्यालय का नाम :–

प्राप्तकर्त्ता का नाम एवं हस्ताक्षर